

Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University
Gorakhpur-273009 (U.P.) India



No. DDUGU/Affiliation/2018/ 4688

Date: 19/07/2018

To Whom So Ever It May Concern

This is to certify that Chandrakanti Ramawati Devi Arya Mahila PG College, Gorakhpur (U.P.) is affiliated for imparting instruction in the following subjects as:

S.No.	Courses	Affiliation (Self Finance)		Validity for the Year
		Permanent	Temporary	
1	Three year B.A. Courses in Hindi, Sanskrit, Ancient History, Home Science, Sociology, Education, Fine Arts, Political Science, English, Music, Computer Application	Permanent	-	-
2	Three Year B.Sc. Course in Home Science	Permanent	-	-
3	Three Year B.Com Course	-	Temporary	30-06-2019
4	Two year P.G. Courses in Education, Political Science, Home Science, Visual Arts	Permanent	-	-
5	Two year P.G. Course in Visual Arts	-	Temporary	30-06-2019
6	B.Ed.	Permanent	-	-
7	M.Ed.	Permanent	-	-

It is further certified that the College is recognized by the University Grants Commission, New Delhi under section 2(f) and 12(b) of UGC Act.

Registrar

य कार्यालय को भेजे जाये
वाके सभी पत्रों में पूर्व पत्र
छगहर की संख्या, दिनांक
तथा उद्धृत विभाग का नाम
दिया जाय ।

संख्या 185 / सम्बन्धित

प्रेषक :

कुलसचिव

गोरखपुर विश्वविद्यालय

गोरखपुर (उ० प्र०)

सेवा में,

श्रीराम रक्षा पाण्डेय,

प्रबन्धक,

चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला-
डिग्री कालेज, गोरखपुर।

①

विषय :

दिनांक—29-4-1991

विषय:- चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला डिग्री कालेज,
गोरखपुर में स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाएँ आरम्भ करने
के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कुलपति जी को सम्बोधित उपरोक्त विषयक अपने पत्र
दिनांक 6-4-1991 का सन्दर्भ लें ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की
धारा 37 §28 के अधीन आपके महाविद्यालय को स्नातक स्तर
पर हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, प्राचीन इतिहास एवं
गृह विज्ञान विषयों में महामहिम कुलाधिपति महोदय वदारा
1 जुलाई 1990 से अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति दिये जाने के
फलस्वरूप कुलपति जी ने उपरोक्त छः विषयों में नियमानुसार
प्रवेश एवं कक्षाएँ चलाने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा की है।

भवदीय,

अ. कुलसचिव

5/4/91
गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर

5/4/91

गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर

प्रेषण,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विधि परामर्शी
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

कुलसचिव
गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर ।

महोदय,

आपके पत्र संख्या 68169/सम्ब01/1991-92, दिनांक 23 फरवरी, 1991 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुलाधिपति महोदय ने उत्तरप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अधीन चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला महा विद्यालय, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, प्राचीन इतिहास एवं गृह विज्ञान विषयों में दिनांक 1-7-1990 से तीन वर्षों की अवधि के लिये अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है ।

महोदय,

ह0 घनश्याम पाण्डेय

श्री राज्यपाल के विधिक परामर्शदाता।
प्रभारी संयुक्त सचिव

प्रतिरिपि अध्यक्ष, उच्च शिक्षा आयोग, 8050 न्याय मार्ग, (सर्किट हाउस के निकट),
इलाहाबाद को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(घनश्याम पाण्डेय)

श्री राज्यपाल के विधिक परामर्शदाता।
प्रभारी संयुक्त सचिव

गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

सं0 151

सम्बद्धता 190-91

दिनांक अप्रैल 9, 1991

प्रतिरिपि श्री रामरक्षा पाण्डेय, प्रबन्धक, चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
महाविद्यालय, गोरखपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

महायुक्त कुलसचिव (सम्बद्धता)

9/4/91 22/4/91
सदर सचिव (सम्बद्धता)
गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर

(3)

प्रतिनिधि प्रमाणिका-ई-4587/वी.एन./ दिनांक अक्टूबर 1, 1995
धारा की धारा 0000 संज्ञा, कुलाधिपति के विशेष कार्यधिकारी,
सम्बन्धित कुलपति, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

आपके पत्र संख्या-1509/सम्ब0/93-94, दिनांक 16 जुलाई, 1993
के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुलाधिपति महोदय
ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37
1211 के अधीन चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला महाविद्यालय
गोरखपुर को स्नातक स्तर पर हिन्दी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, समाज-
शास्त्र, शिक्षाशास्त्र एवं गृह विज्ञान विषयों में दिनांक 1-7-93 से
30-6-95 तक पूर्व प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता के विस्तारण की स्वीकृति
तत्पर्य प्रदान कर दी है।

गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

पत्रांक 17 /सम्ब0/94-95

दिनांक अक्टूबर 21, 1995

प्रतिनिधि प्रबन्धक, चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
महाविद्यालय, गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेक्षित।

21/8/95
महायक कुलपति/सम्बद्धता

21/8/95

১৯৯১ খ্রিঃ ১৫ই আগস্ট - ১৯৯২ খ্রিঃ ১৫ই আগস্ট
 , ১৯৯৩ খ্রিঃ ১৫ই আগস্ট - ১৯৯৪ খ্রিঃ ১৫ই আগস্ট
 , ১৯৯৫ খ্রিঃ ১৫ই আগস্ট - ১৯৯৬ খ্রিঃ ১৫ই আগস্ট

[illegible]

THEY'RE BETTER OFF THEY'RE

[illegible]

175-157, 186-188, 189-191

4

पत्र प्रतिलिपि पत्र संख्या - ई-429/वी.एस.ओ. दिनांक जनवरी 24, 1976
द्वारा कुलाधिसिंह के विशेष कार्याधिकारी, श्री राजगोपाल/कुलाधिसिंह
के विशेष कार्याधिकारी, सम्बन्ध सम्बन्धित कुलाधिसिंह, गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र
गोरखपुर ।

आपके पत्र संख्या 1509/सम्बन्ध/93-94 दिनांक 16 जुलाई, 1973
में जो आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कुलाधिसिंह महोदय ने उत्तर-
प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37(2) के अन्तर्गत
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला डिग्री कॉलेज, गोरखपुर को स्नातक
स्तर पर हिन्दी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र और गृह
विज्ञान विषयों में दिनांक 1-7-95 से तीन वर्ष की अवधि के लिये पूर्व प्रदत्त
अस्थायी सम्बद्धता के विस्तारण की स्वीकृति सहित प्रदान कर दी है ।

भवदीय,

ह. आर.ओ. सक्सेना
[आर.ओ. सक्सेना]
कुलाधिसिंह के विशेष कार्याधिकारी

गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

पत्रांक 306 /सम्बद्धता/95-96 तददिनांक 6/4/96
प्रतिलिपि प्रबन्धक, चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला महाविद्यालय,
गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।

कुलाधिसिंह
3/2/96
3/2/96
3/2/96
3/2/96
3/2/96

प्रतिलिपि पत्र संख्या-ई-1512/वी.सम्ब.ता/ दिनांक 11 अप्रैल, 1997
जो श्री एम.ए.एल. कुलाधिकारि है अनु. 3/1997, रा. नगरपालिका, काठमाडौं,
उत्तर प्रदेश, तत्काल छठारत कुलाधिकारि, गोरखपुर, बिहार, भारत,
गोरखपुर को सम्बोधित है।

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुलाधिकारि
महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973
की धारा-37(2) के अधीन चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
विश्वविद्यालय, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर हिन्दी, संस्कृत,
तमाजशास्त्र, विधाशास्त्र, प्राचीन इतिहास तथा गृह विज्ञान विषयों
में दिनांक 01-7-97 से स्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान
कर दी है।

गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

पत्रांक 1117 /सम्बद्धता/96-97

दिनांक: अप्रैल 11, 1997

प्रतिलिपि प्राचार्य/प्रबन्धक, चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
डिग्री कालेज, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर स्थायी सम्बद्धता की
की सूचना।

सहायक कुलपति (विश्वविद्यालय)

11/4/97